

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- मेघना चौधरी, आर०ए०एस०)

(1) अपील संख्या:- 161/2010/223 (2010/00008)

1. राजी पुत्र सुवा,
2. छोटी पुत्री सुवा,
3. लाली पुत्री सुवा,  
जाति माली, निवासी ग्राम राजगढ़, तह० नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पदमा पुत्र दूला (फौत) जरिये वारिसान:-  
1/1- आपूदेवी पत्नि पदमसिंह,  
1/2- पांचूसिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/3- अन्नासिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/4- बीरमसिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/5- नारायणसिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/6- सुखदेव पुत्र पदमसिंह,  
1/7- प्रेमसिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/8- भागचन्द सिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/9- महावीरसिंह पुत्र पदमसिंह,  
1/10- पांची पुत्री पदमसिंह,  
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम सवाईपुरा नयागांव कास्या, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. दल्ला पुत्र दूला,
3. गोपी पुत्र दूला,
4. भंवरसिंह पुत्र मल्ला,
5. मोती पुत्र मल्ला,
6. बन्ना पुत्र मल्ला,  
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम सवाईपुरा राजगढ़, तह० नसीराबाद जिला अजमेर ।
7. भंवरलाल पुत्र सुवा (मृतक) जरिये वारिसान:-  
7/1- श्रीमती सोहनी पत्नि भंवरलाल,  
7/2- नारायण पुत्र भंवरलाल,  
7/3- सुल्तान पुत्र भंवरलाल,  
7/4- बाबू पुत्र भंवरलाल,  
7/5- श्रीमती सीता पुत्री भंवरलाल,  
7/6- श्रीमती चांदा पुत्री भंवरलाल,  
7/7- श्रीमती मघा पुत्री भंवरलाल,  
7/8- श्रीमती बबली पुत्री भंवरलाल,
8. रतनलाल पुत्र सुवा,  
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम राजगढ़, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस



*W. P. S.*  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, नसीराबाद दिनांक 21.4.2010 अंतर्गत वाद संख्या 144/2008.

उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पोंड संख्या 1/1 से 1/10, 2 से 6.

✓ (2) अपील संख्या:- 444/2019/223 (2019/00444)

1. पदमा पुत्र दूला (फौत) जरिये वारिसान:-  
 1/1- आपूदेवी पत्नि पदमसिंह,  
 1/2- पांचूसिंह पुत्र पदमसिंह,  
 1/3- अन्नासिंह पुत्र पदमसिंह,  
 1/4- बीरमसिंह पुत्र पदमसिंह,  
 1/5- नारायणसिंह पुत्र पदमसिंह,  
 1/6- सुखदेव पुत्र पदमसिंह,  
 1/7- प्रेमसिंह पुत्र पदमसिंह,  
 1/8- भागचन्द पुत्र पदमसिंह,  
 1/9- महावीरसिंह पुत्र पदमसिंह,  
 1/10- पांचू पुत्री पदमसिंह,

2. दल्ला पुत्र दूला,
3. गोपी पुत्र दूला,
4. भंवरसिंह पुत्र मल्ला,
5. मोती पुत्र मल्ला,
6. बन्ना पुत्र मल्ला,  
 समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम सवाईपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस


बनाम

1. भंवरलाल पुत्र सुवा (फौत) जरिये वारिसान:-  
 1/1- सोहनी पत्नि स्व0 भंवरलाल,  
 1/2- नारायण पुत्र स्व0 भंवरलाल,  
 1/3- सुल्तान पुत्र स्व0 स्व0 भंवरलाल,  
 1/4- बाबू पुत्र स्व0 स्व0 भंवरलाल,  
 1/5- सीता पुत्री स्व0 भंवरलाल,  
 1/6- मंजू पुत्री स्व0 स्व0 भंवरलाल,  
 1/7- चांदा पुत्री स्व0 भंवरलाल,  
 1/8- बबली पुत्री स्व0 भंवरलाल,

2. रतनलाल पुत्र सुवा,
3. राजी पुत्री सुवा,
4. छोटी पुत्री सुवा,
5. लाली पुत्री सुवा,  
 जाति रावत, निवासी माली, निवासी ग्राम राजगढ़, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

  
 राजस्थान अपील प्राधिकारी  
 अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, नसीराबाद दिनांक 21.4.2010 अंतर्गत वाद संख्या 144/2008.

उपस्थित:-

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो० संख्या 3 से 5.
3. रेस्पो० संख्या 1/1 से 1/7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:- 27.8.2021

1. दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2010 के विरुद्ध इस न्यायालय में पृथक-पृथक प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण पदमा, दल्ला, गोपी, भंवरसिंह, मोती व बन्ना पुत्रगण मल्ला रावत ने अधी०न्याया० के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज०काश्त०अधि० एवं धारा 136 राज०काश्त०अधि० 1956 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर कथन किया कि ग्राम सवाईपुरा नयागांव (राजगढ़) के वर्किंग खसरा नंबर 4128, 4144, 4145, 4146, 4048 व 4149 कुल किता 6 कुल रकबा 15-19-10 बीघा में से 9-17-10 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.2.1990 को वादी संख्या 1 से 3 तथा वादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता मल्ला ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया तथा खसरा नंबर 4131 में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हिस्सा भी क्रय किया लेकिन राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज नहीं किया । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को वाद में वर्णितानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधी०न्याया० के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश कर प्रत्येक अपीलांट के 1/5 हिस्से की उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही । अधी०न्याया० ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में 4 तनकियात कायम की । तत्पश्चात् अधी०न्याया० ने दिनांक 21.4.2010 को निर्णय व डिक्री पारित कर ग्राम नयागांव राजगढ़ के हाल खसरा नंबर 1304 रकबा 0.32 है०, 1307 रकबा 0.25 है०, 1309 रकबा 0.16 है०, 1312 रकबा 0.10 है०, 1313 रकबा 0.20 है०, 1310 रकबा 0.06 है०, 1311 रकबा 0.28 है०, 1298 रकबा 0.08 है० व 1299 रकबा 0.12 है० कुल किता 9 कुल रकबा 1.57 है० में 4/5 हिस्से बाबत् वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को उक्त आराजियात व खसरा नंबर 1313/3312 रकबा 0.01 है० पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर खातेदार घोषित किया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रतिदावा खारिज किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का प्रतिदावा आंशिक स्वीकार कर उपरोक्त आराजी पर वादीगण 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर दोनों अपीलांटस ने यह दो पृथक-पृथक अपीलें पेश की है ।
3. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने तथा एक ही निर्णय व डिक्री के विरुद्ध होने से एक साथ बहस समाहत की जाकर एक ही आदेश से निर्णय किया जा रहा है ।
4. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
5. अपील संख्या 161/2010/223 बउनवान राजी वगै० बनाम पदमा वगै० के विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि



*Dr.*  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
अजमेर

अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 धर्म से हिन्दू है एवं उनके पिता सुवालाल पुत्र पीथा माली का स्वर्गवास दिनांक 5.11.1984 को हुआ अर्थात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् होने से सुवालाल के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान यथा श्रीमती कुन्दनी बेवा सुवालाल, भंवरलाल व रतनलाल पुत्रान सुवालाल तथा राजी, छोटी व लाली पुत्रियां सुवालाल प्रत्येक 1/6 हिस्सेनुसार सुवालाल की सम्पत्ति के अधिकारी हुए जिससे दिनांक 14.2.1990 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा मात्र अपने हिस्से की आराजियात का ही विक्रय किया गया था क्योंकि चाहे अधिकार अभिलेख में श्रीमती कुन्दनी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का नाम दर्ज नहीं किया गया हो लेकिन उनके स्वत्व निहित हो चुके थे। यदि वादीगण द्वारा विक्रय पत्र में हिस्सों से अधिक का शब्दों के उलट-फेर में अंकन भी करवा लिया गया हो तो भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 के 2/6 हिस्से से अधिक स्वत्व वादीगण में निहित नहीं हुए है। श्रीमती कुन्दनी का विवादित भूमि में 1/6 हिस्सा निहित था जिसका स्वर्गवास दिनांक 26.2.2001 को हुआ जिसके द्वारा उक्त हिस्सा विक्रय भी नहीं किया गया था जिससे कुन्दनी का 1/6 हिस्सा सुवालाल के शेष वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक में 1/30 हिस्सेनुसार निहित हो गया। अधी०न्याया० द्वारा तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2/रेस्पों संख्या 7 लगायत 8 द्वारा उनके हिस्से की विक्रय की गई आराजियात की खातेदारी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है फिर भी अंतिम पैरा में हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के प्रावधानों के विपरीत जाकर मुनमुताबिक वादीगण/रेस्पों संख्या 1 से 6 को 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जिससे स्पष्ट है कि तनकी संख्या 1 का निर्णय तथा डिक्री में अंकित इबारत विरोधाभाषी होकर अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है क्योंकि अपीलांटस प्रत्येक 1/5 हिस्से की अधिकारिणी है ऐसी स्थिति में वादीगण को 2/5 एवं अपीलांटस को 3/5 हिस्से का खातेदार घोषित करना चाहिये था क्योंकि श्रीमती कुनणी का हिस्सा विक्रय नहीं किया गया था। विक्रय पत्र दिनांक 14.2.1990 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना 2/6 हिस्सा ही विक्रय किया गया है फिर भी वादीगण द्वारा असत्य कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। अधी०न्याया० ने पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित इबारत का सही तरीके से अध्ययन किए बिना रेस्पों संख्या 1 से 6 को मनमाना कानून बनाते हुए 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है जो गलत है क्योंकि दावाकृत भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किया है। विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बरवक्त विक्रय 2/6 हिस्सा ही निहित था क्योंकि श्रीमती कुनणी देवी का दिनांक 26.2.2001 को स्वर्गवास होने पर उसका हिस्सा भी सुवालाल के पांचों वारिसान में निहित हो गया था। इसी आधार पर अधिकार अभिलेख में अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 7 से 8 के नाम दर्ज किया गया लेकिन अधी०न्याया० द्वारा माता की विरासत में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हिस्सा नहीं माना क्योंकि वे पहले विक्रय कर चुके थे जबकि बरवक्त विक्रय दिनांक 14.2.1990 को कुनणी देवी का 1/6 हिस्सा पांचों वारिसान में 1/5 हिस्से के अनुसार कुल भूमि में से 1/30 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक में निहित होता है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया था कि वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी विरासत के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में किस आधार पर निहित हुई जबकि इस तथ्य को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था जिससे अधी०न्याया० के समक्ष यह स्पष्ट सिद्ध था कि वादग्रस्त आराजियात सुवालाल की



*Dr.*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

विरासत से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं श्रीमती कुनणी देवी में निहित हुई है, चाहे अधिकार अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत दर्ज करने के बजाय सीधे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं श्रीमती कुनणी देवी का नाम दर्ज कर दिया हो क्योंकि वादीगण द्वारा वर्किंग जमाबंदी के अतिरिक्त ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हो। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खसरा नंबर 4124 जो कि बरवक्त विक्रय दिनांक 14.2.1990 को गैर खातेदारी की आराजियात थी जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण को दिनांक 24.6.1992 को प्राप्त हुई जिससे गैर खातेदारी की आराजियात अहस्तांतरणीय होने से उक्त खसरा नंबर बाबत् वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संधारण योग्य नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों को छिपाकर गैरकानूनी आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा विवादित आराजियात का कभी भी विक्रय नहीं करने एवं ना ही वादीगण को कब्जा प्रदान करने के बावजूद असत्य कथन वादपत्र में अंकित करते हुए उद्घोषणा खातेदारी मांगी गई है जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्तनीय था। वादीगण द्वारा विवादित आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा दिनांक 14.2.1990 को क्रय किया जाना अंकित किया गया है जबकि वाद पत्र सन् 2008 में अर्थात् 12 वर्ष बाद पेश किया गया है जिससे तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.2.1990 के अनुसार एवं कब्जे के अभाव में वादीगण को प्राप्त होने वाले स्वत्वों का अवसान हो चुका है जिससे भी वाद खारिज योग्य था। दिनांक 15.7.2008 को वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है अतः वादकारण के अभाव में वादपत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दिनांक 14.2.1990 को निहित 2/6 हिस्से से अधिक आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है जो अधिक हिस्सा उक्त हिस्सों के स्वत्वाधिकारियों (प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5) से वादीगण द्वारा कभी क्रय नहीं किया गया न ही कभी कब्जा प्राप्त किया है, के बाबत् पेश किया गया जो विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आने से उक्त वाद प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था इसके बावजूद अधी०न्याया० ने वादीगण का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2010 निरस्त की जावे एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर अपीलांट को वाद वर्णित संपूर्ण आराजियात में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जावे तथा वादीगण पदमा वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जावे।

6.

अपील संख्या 444/2019/223 बउनवान पदमा वगै० बनाम भंवरलाल व अन्य के विद्वान वकील अपीलांटस/वादीगण ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा न्याय, नियम के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधी०न्याया० ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज रिकार्ड प्रदर्श-1 विक्रय पत्र, प्रदर्श 2 वर्किंग जमाबंदी, प्रदर्श 3 व 5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 4 आधार जमाबंदी प्रस्तुत किए तथा वादी पदमा व गवाह देवी के बयान लेखबद्ध कराये जिससे वादग्रस्त भूमि वादीगण की कयशुदा होना स्पष्ट था तथा कयशुदा भूमि की ताईद वादी द्वारा एवं गवाह द्वारा पूर्ण रूप से की गई किन्तु अधी०न्याया० द्वारा वादीगण का वाद मात्र 4/5 हिस्से का स्वीकार किया गया तथा खसरा नंबर साबिक 4124 रकबा 4-1-10 पर वाद इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि उक्त नंबर की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस



*W. S.*  
राजस्व अधीन प्रधिकारी  
अनूपुर

प्रकार समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए मात्र 4/5 हिस्से पर वाद स्वीकार किया गया जो पूर्ण हिस्से पर स्वीकार हेतु उक्त अपीलाधीन निर्णय में प्रतिदावा निरस्त किया जाना आवश्यक था। अधीन्यायालय द्वारा वाद पत्र में कुल 5 तनकियात कायम की गई जिसमें प्रथम तनकियात आया दावाकृत आराजी वादी संख्या 1 से 3 व वादी संख्या 4 से 6 के पिता मल्ला ने दिनांक 14.2.1990 को कय की है। दूसरी तनकी वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तृतीय तनकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आराजी में से अपना 2/6 हिस्सा ही विक्रय किया तथा खसरा नंबर 4124 का विक्रय नहीं किया। चतुर्थ तनकी प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारी के प्राप्ति है तथा पांचवी तनकी अनुतोष कायम किया। प्रतिदावे का निर्णय अधीन्यायालय द्वारा एक मात्र वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं विरासत के आधार पर पारित कर दिया जबकि भूमि का पूर्व में ही तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण रूप से बेचान कर दिया था तथा मौके पर संपूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा व आधिपत्य है। अधीन्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य एवं दस्तावेज की अनदेखी करते हुए प्रतिदावा आंशिक स्वीकार किया है जो विधिविरुद्ध है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीन्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के प्रतिदावे को स्वीकार किये जाने के निर्णय को निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण राजी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जावे।



हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधीन्यायालय के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया। अधीन्यायालय के समक्ष वादीगण पदमा, दल्ला, गोपी, भवरसिंह व मोती, बन्ना के द्वारा भंवरलाल, रतनलाल पुत्रगण सुवा, राजी, छोटी, लाली पुत्रियां सुवा के विरुद्ध ग्राम सवाईपुरा नया गांव राजगढ़ तहसील नसीराबाद स्थित भूमि वर्किंग खसरा नंबर 4128, 4144, 4145, 4146, 4048, 4149 एवं खसरा नंबर 4124 व 4131 बाबत वाद पेश कर कथन किया कि वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता दूला व वादी संख्या 4 से 6 के पिता मल्ला के द्वारा दिनांक 14.2.1990 को प्रतिफल की एवज में भंवरलाल व रतनलाल पि० सुवा माली से विवादित भूमि कय की है तथा कय दिनांक से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण विवादित भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुत्रों द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे को खारिज करने की प्रार्थना की साथ ही काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/6 हिस्सा एवं कुणनी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/6 हिस्सा होने का कथन करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व श्रीमती कुन्दनी बेवा सुवालाल को विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन सुवालाल की विरासत अंकित करते समय प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नाम अंकित नहीं किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का सुवालाल की जायंदा पुत्रियां होने से सुवालाल की सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा निहित है तथा श्रीमती कुन्दनी के 1/6 हिस्से में भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 प्रत्येक का विवादित आराजियात में 1/6+1/30 हिस्से के अधिकारी है।

8. अधीन्यायालय ने दिनांक 21.4.2010 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात रकबा 1.57 है० में से 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भंवरलाल व रतनलाल पुत्रगण सुवा का प्रतिदावा खारिज


*DR*  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
अजमेर

किया साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 से 5 राजी, छोटी, लाली पुत्रियां सुवा का प्रतिदावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को विवादित आराजियात कुल रकबा 1.57 है० में से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्राथमिक डिक्री पारित की है ।


9. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2010 में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार वादीगण को 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने से वादीगण/अपीलांट तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 क्रमशः राजी, छोटी, लाली पुत्रियां सुवा को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने से दोनों अपीलांटस असंतुष्ट है तथा कथन किया कि अधी०न्याया० ने हिस्सों की गणना सही नहीं की है ।

10. इस संबंध में अधी०न्याया० के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया। अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में विवादित भूमि को विक्रेतागण के अतिरिक्त उनकी माता श्रीमती कुनणी बेवा सुवा के नाम भी खातेदारी दर्ज होना माना है तथा मु० कुनणी द्वारा भूमि का विक्रय किया जाना भी नहीं माना है । अधी०न्याया० ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता कुनणी बेवा सुवा की मृत्यु विक्रय पत्र के बाद दिनांक 26.2.2001 को होने से वादीगण को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भंवरलाल व रतनलाल पुत्रान सुवा के हिस्से की आराजी प्राप्त करने का अधिकारी मानकर अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की है । इसी प्रकार तनकी संख्या 2 व 3 के निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा बैचान किया जाना मानते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का प्रतिदावा खारिज किया है । तनकी संख्या 4 में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 राजी, लाली, छोटी पुत्रियां सुवा को मु० कुनणी बेवा सुवा की आराजियात की खातेदारी बाबत् खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी माना है । अधी०न्याया० ने अपने निर्णय के अनुतोष पैरा में वादीगण के पक्ष में 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 के पक्ष में 1/5 हिस्से का निर्धारण किया है जो अधी०न्याया० द्वारा तनकीयों के निर्णय में दिये गये निष्कर्ष से भिन्न है । इस कारण अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं ।

11. अतः दोनों अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे वादीगण को विक्रेतागण भंवरलाल व रतनलाल पुत्रगण सुवा द्वारा उनके हिस्से बाबत् किये गये विक्रय तथा मु० कुनणी बेवा सुवा के हिस्से की आराजियात को ध्यान में रखकर पक्षकारों के हिस्सों का पुनः निर्धारण कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में पुनः निर्णय पारित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

  
(मेघना चौधरी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्रे इजलास सुनाया गया ।

  
(मेघना चौधरी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

